प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूपः–

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः– द्वितीय वृत्त, मेरठ **परिषद दिवस के आयोजन का दिनांकः–**19.05.2016

कमांक	**आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं0**	**शिकायत का विषय**	**यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का कमांक एवं तिथि**	**निस्तारण हेतु दिया गया समय–(तत्काल/7 दिन/ 15 दिन)**	**कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति**	**टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)**
1.	श्री देव राज सिंह सिरोही सी–98/9, शास्त्रीनगर, मेरठ। 9368342431	ओ0टी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत पैसा जमा कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति कार्यालय, मेरठ के पत्रांक 2149 दिनांक 24.5.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि कृपया ओ0टी0एस0 मांग पत्र के पैरा–3 का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि यदि वांछित दोनों चरणों की धनराशि उपरोक्त दिनांक को परिषद खाते में जमा नहीं की जाती है तो योजना आपके ऊपर लागू नहीं होगी और पूर्व प्रक्रिया लेजर की गणना के अुनसार भुगतान करना होगा। जिस कारण ओ0टी0एस0 योजना आपके ऊपर लागू नहीं होती है। उक्त मध्यम आय वर्ग भवन सं0–सी–98/9 में दिनांक 30.6.16 तक लेजर के अनुसार रू0 1852840.00 अवशेष हो जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त धनराशि दिनांक 30.6.16 तक जमा करा सूचित करें, अन्यथा परिषद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	निस्तारित
2.	श्री देव राज सिंह सिरोही सी–98/9, शास्त्रीनगर,	प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 1026/	निस्तारित

	मेरठ। 9368342431				जी–19/ 15 दिनांक 28.5.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि आपके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गयी है तथा प्रकरण निती विषयक है साथ ही आपका प्रकरण पूर्व से ही मा0 जिला न्यायालय में भी विचाराधीन है। उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में परिषद अधिवक्ता/ परिषद मुख्यालय से विधिक अभिमत प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। परिषद के अधिवक्ता/ विधि अनुभाग लखनऊ से विधिक अभिमत प्राप्त होने पर तदानुसार मा0 जिला न्यायालय में लम्बित इजराय वाद में प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में खण्ड स्तर से आपके प्रकरण पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः आपका प्रकरण तदानुसार निस्तारित किया जाता है।	
3.	श्री साबिर अली पुत्र श्री हाजी शौकत अली 331, आवास विकास कालोनी, बुलन्दशहर रोड, हापुड 9756463184	अम्बेडकर नगर योजना सं0–1 हापुड़ स्थित आवासीय भूखण्ड सं0–324/1 के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–22 गाजियाबाद के पत्र संख्या–732/वाई–2/99 दिनांक 02.07.16 द्वारा सम्बन्धित को अवगत करा दिया गया है कि भूखण्ड संख्या–324 के आवंटी अतिरिक्त भूमि के लिये सहमत नहीं है। अतः तदानुसार भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित आवंटी से अनुरोध कर लिया गया है।	
4.	श्री राम गिरीश क्यू0नं0–1125, सैक्टर–3, आर0के0 पुरम, नई	भूखण्ड सं0–699, सैक्टर–1 वसुन्धरा गाजियाबाद पर आवासीय निर्माण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।		15 दिन	सप्तम वृत्त गाज़ियाबाद के पत्रांक 1499/ आर–10/17 दिनांक 25.5.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया	निस्तारित

	दिल्ली–110022 9013851890				गया है कि उक्त आवासीय भूखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन सिविल मिस0 रिट पिटीशन (पी0आई0एल0) संख्या–54096/ 2010 से प्रभावित है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.9.2010 को स्थगन आदेश पारित किये गये है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है, जिस कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त भूखण्ड पर आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृतिकरण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा पा रही है। प्रश्नगत रिट के सन्दर्भ में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के उपरान्त ही तदानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।	